निर्वाचन आयोग (ELECTION COMMISSION)-

संविधान में अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग का उल्लेख किया गया है। निर्वाचन आयोग संसद और प्रत्येक राज्य विधानमण्डल के वास्ते तथा राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के पदों के वास्ते सभी निर्वाचनों का निरीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करेगा है। निर्वाचन आयोग में इस समय एक अध्यक्ष एवं दो सदस्य हैं। 1993 के पूर्व निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय था। राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग से परामर्श करके आयोग की सहायता के लिए प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति करता है।

मुख्य निर्वाचन आयुक्त अपने पद से उन्हीं कारणों पर और उन्हीं रीतियों से हटाया जायेगा जिनकारणों और रीति से सर्वोच्च न्यायालय का न्यायधीश हटाया जा सकता है। चुनाव आयुक्तों का वेतन 30,000 रुपये है तथा वे 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रह सकते हैं। प्रथम चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। वर्तमान मेंमुख्यचुनाव आयुक्त बी.बी. टंडन हैं।

चुनाव आयोग के कार्य-

1- चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन या सीमांकन।
2- मतदाता सूचियां तैयार करना।
3- विभिन्न राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना
4- राजनीतिक दलों को आरक्षित चुनाव चिन्ह प्रदान करना।
5- अर्द्धन्यायिक कार्य
6- अन्य कार्य- 1- राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता तैयार करना। 2- राजनीतिक दलों को आकाशवाणी पर चुनाव प्रचार की सुविधाएं दिलवाना, 3- उम्मीदवारों द्वारा किये जाने वाले कुल व्यय की राशि निश्चित करना। 4- मतदाताओं को राजनीतिक प्रशिक्षण देना। 5- चुनाव याचिकाओं, आदि के संबंध में सरकार को आवश्यक परामर्श देना।

G. P. Rathaur

Scanned by TapScanner

भारत में चुनाव सुधार-(Electoral Reforms in India)

भारत में अब तक 15 आम चुनाव हो चुके हैं। ये सभी चुनाव सामान्यतया शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न हुए, लेकिन इसके साथ ही चुनाव पद्धति और चुनावों में कुछ ऐसी बातें देखने में आयी हैं, जिन्होंने जनता की चुनावों में आस्था को कम किया है अथवा यदि उन्हें समय रहते नियंत्रित नहीं किया गया तो वे कालान्तर में चुनावों के प्रति आस्था को आघात पहुंचा सकती है। चुनावों में काले धन, हिंसा, मतदान केन्द्रों पर कब्जा करने की पद्धतियां निरंतर बढ़ रही हैं। इन त्रुटियों के उपचार का अध्ययन इस प्रकार की जा सकती है-

1- राजनीतिक दलों को प्राप्त जन समर्थन और स्थानों के अनुपात में गंभीर अंतर - भारत में साधारण बहुमत की जो निर्वाचन पद्धति अपनायी गई है, उसके अंतर्गत प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से वह उम्मीदवार निर्वाचित घोषित होता है जिसे सबसे अधिक मत मिले हैं। चाहे विरोधी अथवा पराजित उम्मीदवारों को मिले मतों का योग उसे प्राप्त मतों से कितना ही अधिक हो। इससे निबटने के लिए आनुपातिक पद्धति का सहारा लिया जाना चाहिए।

2- चुनावों में धन की बढ़ती हुई भूमिका - चुनावों में एक अत्यधिक गंभीर दोष चुनावों में धन की बढ़ती हुई भूमिका के रूप में सामने आया है। चुनावों में धन की शक्ति को नियंत्रित करने के लिए कुछ सुझाव दिए जा सकते हैं-

1- राजनीतिक दलों के व्यय को उम्मीदवार के चुनाव खर्च में शामिल करना।

2- राजनीतिक दलों के आय-व्यय विवरण की विधिवत् जांच।

3- चुनाव प्रचार की अवधि में कमी करना।

4- संसद और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव की व्यवस्था।

5- चुनाव अवधि में सार्वजनिक संस्थाओं को अनुदान देने पर रोक।

6- चुनाव खर्च या भार पूर्णतया या आंशिक रूप से राज्य द्वारा वहन करना।

3- चुनाव में बाहुबल और हिंसा का प्रयोग, मतदान केन्द्रों पर कब्जा और जाली मतदान किया जाता है। फर्जी

Scanned by TapScanner

मतदान को रोकने के लिए सभी लोगों के लिए पहचान पत्र जारी किया जाना चाहिए।

4- निर्दलीय उम्मीदवारों की बड़ी संख्या- निर्दलीय उम्मीदवार की बड़ी संख्या चुनाव व्यवस्था करने में कठिनाइयां पैदा करती हैं। अधिकांश निर्दलीय उम्मीदवार तो माखौल के रूप में चुनाव लड़ते हैं, या कई बार वे प्रमुख उम्मीदवारों से चुनाव मैदान से हटने के लिए धनराशि प्राप्त करने की आशा में उम्मीदवार बन जाते हैं। इस संबंध में यह सुझाव विचारणीय है कि जमानत की रकम कम से कम दस गुना बढ़ा दी जानी चाहिए, अर्थात् लोकसभा के लिए 500 रुपये से बढ़ाकर 5 हजार रुपये और विधान सभा के लिए 250 रुपये से बढ़ाकर 2500 रुपये कर दी जानी चाहिए।

5- मतदाताओं की अनुपस्थित- भारत में अनुपस्थित मतदाताओं का प्रतिशत बहुत ज्यादा है। अत: भारतीय संसद को अनिवार्य मतदान का नियम बना देना चाहिए और जो मतदाता चुनावों में भाग न लें उन पर कुछ दण्ड लगाया जाये, जो 50 रुपये से अधिक न हो।

6- शासक दल द्वारा प्रशासनिक तंत्र का दुरुपयोग- भारतीय चुनाव व्यवस्था की एक गंभीर त्रुटि शासक दल और मंत्रियों द्वारा 'दलीय लाभों के लिए प्रशासनिक तंत्र के दुरुपयोग' के रूप में सामने आयी है। जैसे ही चुनाव की घोषणा होती है, केन्द्र और राज्य सरकारों का ध्यान विविध संगठित वर्गों को अनेकानेक रियायतें और सुविधाएं देने की ओर चला जाता है।

7- निर्वाचन अधिकारियों पर राजनीतिक दबाव- राजनीतिक दबाव के कारण मतदाता सूचियों में गड़बड़ी की गई जाती है, मंत्री तक चुनाव में हस्तक्षेप करने लगते हैं, संसद सदस्यों तक के नाम मतदाता सूची से निकाल दिए जाते हैं ताकि वे चुनाव न लड़ सकें और विपक्षी उम्मीदवारों का नामांकन पत्र भी रद्द कर दिए जाते हैं। चुनाव के पहले और चुनाव के बाद निर्वाचन अधिकारियों को परेशान किया जाता है।

8- निर्वाचन याचिकाओं पर निर्णय में अत्यधिक विलम्ब

का शीघ्र निपटारा नहीं हो पाता। यह चिन्तनीय है कि जब तक याचिका का निर्णय होता है, तब तक तो लोकसभा और विधान सभा का कार्यकाल ही समाप्त हो जाता है और विषादग्रस्त व्यक्ति अपने पद पर ही बना रहता है। अत: निर्वाचन याचिकाओं पर त्वरित निर्णय किया जाना चाहिए।

Scanned by TapScanner